न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी 2364-II-15 निगरानी क्र0 /015

दिनेश कुमार त्रिपाठी तनय श्री राजधर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 63 वर्ष पेशा खेती
निवासी मो0 बिछिया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 **निगरानीकर्ता**

बनाम

1. श्रीमती कान्तकली पत्नी रामलखन मिश्रा नि0 ग्राम अगडाल तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. रामरती विधवा पत्नी स्व0 सियालाल यादव
3. सौखीलाल यादव तनय स्व0 सियालाल यादव
4. रामायण प्रसाद यादव तनय स्व0 सियालाल यादव तीनों निवासी महाजन टोला तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0
5. कौशिल्या पत्नी जोधा यादव पुत्री स्व0 सिया लाल यादव नि0 ग्राम मटीमा तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
6. कलावती पत्नी रामा यादव पुत्री स्व0 सियालाल यादव नि0 ग्राम नन्दनीपुर तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
7. शिवती पत्नी मोलई यादव पुत्री स्व0 सिया लाल यादव नि0 ग्राम नन्दनीपुर तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर महो0 सम्भाग रीवा जिला रीवा म0प्र0 के रा0 अपील क्र0 1532/अपील/011-012 आदेश दिनांक 09.06. 2015 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 राजस्व संहिता 1959 के तहत

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के आधार निम्न है-

1. यह कि मौजा चिरहुला पट0 ह0 रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 मे निगरानी कर्ता के नाना भुवनेश्वर प्रसाद पाठक एवं स्व0 महेश प्रसाद पाठक नि0 मो0 विछिया रीवा के नाम कई खसरा नम्बरो की भूमियां थी। स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद के मात्र चार पुत्रिया थी जिसमें क्रमशः कमलाबाई, कान्तकली, पद्मादेवी एवं उमादेवी थी। जिसमें कमला बाई निगरानी कर्ता की मां थी। स्व0 महेश प्रसाद पाठक के कोई औलाद नही थी। जिससे स्व0 महेश प्रसाद ने अपने 1/2 भाग का आधा हिस्सा निगरानी कर्ता को वसियत नामा लिखवा दिया था। जो उनकी मृत्यु के बाद वारिसाना नामान्त्रण निगरानीकर्ता के नाम दर्ज हो गया है। स्व0 महेश

दिनेश कुमार त्रिपाठी

पी. के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 24-7-15 को प्रस्तुत

24-7-15

17/0

पा० के तिवारी अभि०

R. 2364-II/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	दिनेश कुमार — कार्यवाही तथा आदेश — श्रीमती कान्तकली	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-8-15	आवेदक अभिभाषक श्री पी० के० तिवारी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक को प्रकरण की ग्राह्यता सहित प्रकरण में निहित बिन्दुओं पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1532/अपील/11-12 में 21 बार स्थगन आदेश जारी किया गया है जबकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु आदेश पारित न कर स्थगन आदेश बार-बार बढ़ाये जा रहे हैं। अंतिम बार बढ़ाये गये स्थगन आदेश दिनांक 9-6-15 को निरस्त कर प्रकरण में तुरंत अंतिम आदेश अपर आयुक्त रीवा द्वारा जारी करने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया। आवेदक अभिभाषक के तर्क के क्रम में मेरे द्वारा निगरानी मेमो के संलग्न प्रमाणित अभिलेखीय प्रतियों का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य प्रकट हो रहे हैं कि प्रकरण में अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 22-9-12 से 9-6-15 तक निरंतर स्थगन आदेश बढ़ाया जाना पाया गया है। प्रकरण के अंतिम रूप से निराकरण करने की प्रभावी कार्यवाही परिलक्षित नहीं हो रही है। प्रकरण के ऑर्डरशीट दिनांक 9-6-15 की नोटशीट में शेष अभिलेख तलब करने का भी उल्लेख है। जबकि आवेदक अभिभाषक द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख प्राप्त होने का अपने तर्कों में बताया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1532/अपील/11-12 में त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही दृष्टिगत नहीं हो रही है।	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2364-II/15

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2364-II/15 .... जिला रीवा ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/8	अतः अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में यदि अधीनस्थ न्यायालय का कोई अभिलेख अप्राप्त है तो उसे तत्काल प्राप्त करें एवं प्रकरण में आगामी अवधि के लिए स्थगन बढ़ाये जाने की आवश्यकता न पड़े इसे ध्यान में रखते हुए तथा पक्षकारों को सुलभ न्याय मिल सके इस तथ्य को सामने रख कर प्रकरण को तीन माह में अंतिम आदेश पारित कर निराकरण करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.